

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (वी-108) अलेसे-1/458

दिनांक:- 08/07/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 151 के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र कुमार, (सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2021) सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को कार्यालय वित्त (नियम) विभाग में उपलब्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद पर कार्यग्रहण तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, पे-पेंशन (Pay Minus Pension) के आधार पर पुनर्नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(16)वित्त/राजस्व/2008 पार्ट दिनांक 01.07.2021 एवं वित्त (नियम) विभाग के अशा.टीप सं.प.4(8)वित्त/नियम/2021 दिनांक 29.06.2021 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (वी-108) अलेसे-1/458

दिनांक:- 08/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोषालय सचिवालय, जयपुर
4. श्री वीरेन्द्र कुमार, (सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1), वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)